मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी–3–12–2013–3–एक   भोपाल, दिनांक 29 जून, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषयः–शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति।
संदर्भः–इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी–3–4–1–3–2006, दिनांक 18.08.2008

शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देने के सम्बन्ध में संदर्भित परिपत्र दिनांक 18.08.2008 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त परिपत्र दिनांक 18.08.2008 की कण्डिका 10.1 के बाद निम्नानुसार कण्डिकायें जोडता हैः–

"10.1 (अ) सेवा में रहते हुए एक ही दुर्घटना में अथवा उसके फलस्वरूप यदि किसी शासकीय सेवक की एवं उसके पति/पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है और उनका एक या एक से अधिक आश्रित सदस्य 21 वर्ष से कम आयु का हो, तो उसे पांच वर्ष तक दिवंगत शासकीय सेवक की अधिवार्षिकी आयु पर सेवानिवृत्ति दिनांक से अप्रभावित रहते हुए, शासकीय सेवक को दिये जाने वाला अंतिम आहरित वेतन म से पेंशन की राशि घटाकर वेतन दिया जाएगा।

10.1 (ब) यदि शासकीय सेवक के पति/पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी हो, तो शासकीय सेवक की मृत्यु होने के दिनांक से उपरोक्त कण्डिका 10.1(अ) के प्रावधान लागू होंगे।

10.1 (स) उपरोक्त कण्डिका 10.1 (अ) एवं 10.1 (ब) के प्रकरणों में आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता इन नियमों के तहत बनी रहेगी, जो उसके आवेदन प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति अथवा अन्य रोजगार प्राप्त होने पर नियम 10.1 (अ) अथवा 10.1 (ब) की सुविधा समाप्त हो जावेगी एवं नियमानुसार परिवार पेंशन की पात्रता यथावत् रहेगी।

2– सामान्य प्रशासन विभाग का अनुकंपा नियुक्ति सम्बन्धी परिपत्र दिनांक 18.08.2008 उपरोक्त कण्डिका 10.1(अ), (ब) एवं (स) द्वारा यथासंशोधित रूप में राज्य शासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ–साथ अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

3— उपरोक्त प्रावधान दिनांक 01 जून, 2013 से प्रभावशील माने जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 29 जून, 2013

पृ0क्र सी—3—12—2013—3—एक

प्रतिलिपिः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर।
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग।
15. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
16. अवर सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय।
17. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश।
18. वेवसाईट अपलोडिंग प्रभारी, सा.प्र.वि. मंत्रालय भोपाल।

29.6.13

(प्रभा अग्रवाल)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग